न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास (खैरथल–तिजारा)

प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

रसीदन बनाम धर्मेन्द्र यादव वगै0

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.01.2025	आज यह प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा वकील प्रार्थी ने दावे के साथ पेश किया। दावा वो प्रार्थना पत्र को पढा गया। वकील वादी/प्रार्थी को एक पक्षीय सुना गया। बहस वकील प्रार्थी वो प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात वो शपथ पत्र प्रार्थी से प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला प्रतीत होता है। सुविधा सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है नापूर्ति क्षति भी प्रार्थी को ही है। अतः प्रतिवादीगण (अप्रार्थीगण) को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 25.02.2025 तक इस अमर से पाबन्द किया जाता है कि अप्रार्थीगण आराजी हाल ख0नं0 34 रकबा 0.3400हे0, 35 रकबा 0.2800हे0 वाके ग्राम महरमपुर तहसील किशनगढबास में विवादित आराजी पर मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। क्योना यह आज्ञा ताफैसला दावा स्थाई कर दी जावे जो भी आपत्ति हो हाजिर अदालत होकर उत्तर पेश करे, प्रार्थी इस अमर का रजिस्टर्ड ए.डी.तलबाना पेश करे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर दिनांक 25.02.2025 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास (खैरथल–तिजारा)	
25-2-25	वकील पक्षकारान अ0/पक्षकारान ने पूर्व में जारी	

स्थगन आदेश ताफैसला दावा स्थाई किये जाने की सहमति दी। अतः संलग्न जमाबंदी अनुसार आराजी विवादित पक्षकारान की सहखातेदारी में दर्ज है। अतः दोनों पक्षों को ताफैसला दावा जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो आ0 ख0नं0 34 रकबा 0.3400हे0 35 रकबा 0.2800हे0 वाके ग्राम महरमपुर तह0 कि0बास के मौका व रिकार्ड की यथावत स्थिति बनाये रखें। प्रार्थनापत्र मिसल शुमार होकर संलग्न मूलवाद है। (हस्ताक्षर)